

राजस्थान राज्य उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सं.नं० - 80/2024  
संनवान : -



1. सन्दीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा

वादी

बनाम

1. मनोज पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
2. यशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. खेताराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. गुडडीदेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. ओमपति पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान  
कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद पूनियां वादी  
श्री उम्मेद मोठसरां प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं० 122/79 के मु० न० 38 के किला न० 20 व 21 की 0.506 है० नहरी खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 59/70 के मु० न० 32 के किला न० 14/2, 15 ता 18, 19/1, 19/2 की 1.480 है० नहरी मय रास्ता की खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं० 235/86 के मु० न० 26 के किला न० 17 ता 19, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 22, मु० न 33 के किला न० 1/2, 1/3, 2, 9/1, 10/3 कुल 2.213 है० नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी ओमपति, गुडडीदेवी व सन्दीप कुमार के नाम 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 122/83 के मु० न० 42 के किला न० 16/1, 16/2, 17, मु० न० 44 के किला न० 4 ता 7, 13/2, 13/3, 14, 15 कुल 2.2 है० नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी वादी सन्दीप कुमार प्रतिवादी ओमपति, खेताराम, गुडडीदेवी व यशपाल के नाम से 1/5-1/5 हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने व खाता व लगान अलग-अलग करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वादी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आइ भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बन हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद

Kalpit  
अधिकारी (राजस्व)  
हनुमानगढ़

अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पावे व खाता व लगान अलग करवाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सूनी गई। वीशने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है व साथ ही पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा अनुसार विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जाये जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं० 122/79 के गु० न० 38 के किला न० 20 व 21 की 0.506 है० नहरी खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 59/70 के गु० न० 32 के किला न० 14/2, 15 ता 18, 19/1, 19/2 की 1.480 है० नहरी मय सरता की खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं० 235/86 के गु० न० 26 के किला न० 17 ता 19, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 22, गु० न० 33 के किला न० 1/2, 1/3, 2, 9/1, 10/3 कुल 2.213 है० नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी ओमपति, गुडडीदेवी व सन्दीप कुमार के नाम 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 122/83 के गु० न० 42 के किला न० 16/1, 16/2, 17, गु० न० 44 के किला न० 4 ता 7, 13/2, 13/3, 14, 15 कुल 2.214 है० नहरी मय सरता खाला की खातेदारी वादी सन्दीप कुमार प्रतिवादी ओमपति, खेताराम, गुडडीदेवी व यशपाल के नाम से 1/5-1/5 हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 4 गुडडीदेवी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि में हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 यशपाल व प्रतिवादी सं० 3 खेताराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क किया जाना राजीनामा में स्वीकार किया गया है। व इसी प्रकार प्रतिवादी सं० 5 आमपति ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सन्दीप कुमार व प्रतिवादी सं० 1 मनोज के पक्ष बहिस्सा बराबर तर्क किया जाना राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेवानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं० 122/79 के गु० न० 38 के किला न० 20 व 21 की 0.506 है० नहरी खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 59/70 के गु० न० 32 के किला न० 14/2, 15 ता 18, 19/1, 19/2 की 1.480 है० नहरी मय सरता की खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं० 235/86 के गु० न० 26 के किला न० 17 ता 19, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 22, गु० न० 33 के किला न० 1/2, 1/3, 2, 9/1, 10/3 कुल 2.213 है० नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी ओमपति, गुडडीदेवी व सन्दीप कुमार के नाम 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 122/83 के गु० न० 42 के किला न० 16/1, 16/2, 17, गु० न० 44 के किला न० 4 ता

13/2, 13/3, 14, 15 कुल 2.214 है 0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में  
है। उक्त वाद भूमि में चक 16 एएमएस तथा 17 एएमएस से ओमपति पत्नी आत्माराम व  
श्रीदेवी पत्नी रामकुमार का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 01 ता 03 को खातेदार  
घोषित किया जाकर मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम  
किया जाता है—

वादी सन्दीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट सा 0 मलखेडा खातेदार :- रोही मौजा चक 17  
एएमएस के मु 0 न 0 44 के किला न 0 5/2 की 0.170 है 0, किला न 0 6 की 0.253 है 0, किला न 0 15 की  
0.253 है 0 की कुल 0.676 है 0 नहरी।

चक 16 एएमएस के मु 0 न 0 33 के किला न 0 1/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 1/3 की  
0.215 है 0, किला न 0 2 की 0.253 है 0, किला न 0 9/1 की 0.117 है 0, किला न 0 10/3 की 0.111 है 0 इस  
प्रकार कुल 0.721 है 0 जिसमें 0.696 है 0 नहरी व 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला।

प्रतिवादी सं 0 1 मनोज कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट सा 0 मलखेडा खातेदार :- रोही  
मौजा चक 16 एएमएस के मु 0 न 0 26 के किला न 0 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न 0 20/2  
की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, किला न 0 20/3 की 0.215 है 0 किला न 0 21/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला,  
किला न 0 21/3 की 0.215 है 0, किला न 0 22 की 0.253 है 0 इस प्रकार कुल 1.492 है 0 जिसमें 1.142 है 0  
नहरी व 0.050 है 0 गै 0 मु 0 खाला।

प्रतिवादी सं 0 2 यशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट सा 0 मलखेडा खातेदार:- रोही मौजा चक 17  
एएमएस के मु 0 न 0 42 के किला न 0 16/1 की 0.228 है 0, किला न 0 16/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0  
खाला, किला न 0 17 की 0.253 है 0, मु 0 न 0 44 के किला न 0 4 की 0.253 है 0, किला न 0 5/1 की 0.  
083 है 0, किला न 0 7 की 0.253 है 0, किला न 0 13/2 की 0.1775 है 0, किला न 0 13/3 की 0.0125 है 0  
गै 0 मु 0 रास्ता, किला न 0 14 की 0.253 है 0 कुल रकबा 1.538 है 0 जिसमें से 1.5005 है 0 नहरी व 0.025 है 0  
गै 0 मु 0 खाला तथा 0.0125 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता।

प्रतिवादी सं 0 3 खेताराम पुत्र रामकुमार जाति जाट सा 0 मलखेडा खातेदार:- रोही मौजा चक 12  
एएमएस के मु 0 न 0 38 के किला न 0 20 व 21 प्रत्येक की 0.253 है 0 की कुल 0.506 है 0 नहरी।

चक 14 एएमएस के मु 0 न 0 32 के किला न 0 14/2 की 0.215 है 0, किला न 0 15 ता 18 प्रत्येक की  
0.253 है 0, किला न 0 19/1 की 0.2405 है 0, किला न 0 19/2 की 0.0125 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता इस प्रकार  
कुल 1.4800 है 0 जिसमें 1.4675 है 0 नहरी व 0.0125 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक  
के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।  
खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिबान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

शायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

100 नं० - 80 / 2024

अनुदान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मनोज पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
2. यशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. खेताराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. गुडडीदेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. ओमपति पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उम्वेद मोदसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा खाता व लगान अलग-अलग किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता सं० 122/79 के मु० न० 38 के किला न० 20 व 21 की 0.506है० नहरी खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं० 59/70 के मु० न० 32 के किला न० 14/2, 15 ता 18, 19/1, 19/2 की 1.480है नहरी मय रास्ता की खातेदारी मनोज कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं० 235/86 के मु० न० 26 के किला न० 17 ता 19, 20/2, 20/3, 21/2, 21/3, 22, मु० न 33 के किला न० 1/2, 1/3, 2, 9/1, 10/3 कुल 2.213है० नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी ओमपति, गुडडीदेवी व सन्दीप कुमार के नाम 1/3-1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं० 122/83 के मु० न० 42 के किला न० 16/1, 16/2, 17, मु० न० 44 के किला न० 4 ता 7, 13/2, 13/3, 14, 15 कुल 2.214है० नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में चक 16 एएमएस तथा 17 एएमएस से ओमपति पत्नी आत्माराम व गुडडीदेवी पत्नी रामकुमार का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 01 ता 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी सन्दीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट सा० मलखेडा खातेदार :- रोही मौजा चक 17 एएमएस के मु० न० 44 के किला न० 5/2 की 0.170है०, किला न० 6 की 0.253है०, किला न० 15 की 0.253है० की कुल 0.676है० नहरी।

चक 16 एएमएस के मु० न० 33 के किला न० 1/2 की 0.025है० गै०मु० खाला, किला न० 1/3 की 0.215है०, किला न० 2 की 0.253है०, किला न० 9/1 की 0.117है०, किला न० 10/3 की 0.111है० इस प्रकार कुल 0.721 है० जिसमें 0.696है० नहरी व 0.025है० गै०मु० खाला।

प्रतिवादी सं० 1 मनोज कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट सा० मलखेडा खातेदार :- रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु० न० 26 के किला न० 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 20/2 की 0.025है० गै०मु० खाला, किला न० 20/3 की 0.215है० किला न० 21/2 की 0.025है० गै०मु० खाला, किला न० 21/3 की 0.215है०, किला न० 22 की 0.253है० इस प्रकार कुल 1.493है० प्रत्येक में 1.142है० नहरी व 0.050है० गै०मु० खाला।

प्रतिवादी सं० 2 यशपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट सा० मलखेडा खातेदार- रोही मौजा चक 17 एगएस के मु० न० 42 के किला न० 16/1 की 0.228है०, किला न० 16/2 की 0.025है० गै०मु० खाला, किला न० 17 की 0.253है०, मु० न० 44 के किला न० 4 की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.083है०, किला न० 7 की 0.253है०, किला न० 13/2 की 0.1775है०, किला न० 13/3 की 0.0125है० गै०मु० रास्ता, किला न० 14 की 0.253है० कुल रकबा 1.538है० जिसमें से 1.5005है० नहरी व 0.025है० गै०मु० खाला तथा 0.0125है० गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 3 खेताराम पुत्र रामकुमार जाति जाट सा० मलखेडा खातेदार- रोही मौजा चक 12 एगएस के मु० न० 38 के किला न० 20 व 21 प्रत्येक की 0.253है० की कुल 0.506है० नहरी।

चक 14 एगएस के मु० न० 32 के किला न० 14/2 की 0.215है०, किला न० 15 ता 18 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.2405है०, किला न० 19/2 की 0.0125है० गै०मु० रास्ता इस प्रकार कुल 1.4800है० जिसमें 1.4675है० नहरी व 0.0125है० गै०मु० रास्ता।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाला व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*R.A.S.*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भारत (निर्वाह-नियंत्रण)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़